भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2511
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में अत्यधिक लंबित मामलों के निपटारे हेतु प्रौद्योगिकी की मदद

2511. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बढ़ते जिला न्यायालयों में सिविल एवं आपराधिक मामलों को निपटान के लिए क्या कोई समय-सीमा तय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के जल्द निपटारे एवं इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु प्रौद्योगिकी आधारित कोई व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) देश के जिला न्यायालयों में दीवानी और आपराधिक लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी, नहीं । मामले का निपटान करना या निपटान के लिए समय सीमा तय करना न्यायपालिका के अनन्य अधिकारक्षेत्र के भीतर आता है तथा केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । अतः देश के जिला न्यायालयों में सिविल और आपराधिक मामलों के संबंध में समयसीमा तय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(ग) : ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना के अधीन, सरकार ने देश की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सक्षम बनाने का प्रयास किया है । इससे न्यायालय प्रक्रियाओं में शीघ्रता प्रदान करके और न्यायपालिका के साथ-साथ वादियों, वकीलों और अन्य पणधारियों को मामले की प्रास्थिति, आदेशों/निर्णयों आदि के बारे में जानकारी का पारदर्शी ऑनलाइन प्रवाह प्रदान करके मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा मिलेगी ।

सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम करने के अपने उद्देश्य के साथ, न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 को कार्यान्वित कर रहा है । चरण-2 तक, 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। वैन परियोजना के भाग के रूप में, सम्पूर्ण भारत में कुल न्यायालय परिसरों में से 99.4% को संयोजकता प्रदान की गई है । राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) का उपयोग करके, वकील

और मुकदमेबाज 23.34 करोड़ मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की प्रास्थिति की जानकारी तक पहुंच सकते हैं । कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामान्य न्यायालय कार्यवाही संभव नहीं थी । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों ने लगभग 2.77 करोड़ मामलों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने लगभग 4.82 लाख मामलों की सुनवाई की है । यातायात अपराधों की सुनवाई के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं और 419.89 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है । डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 819 ई-सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया है । वकीलों/वादियों को मामले की प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्मों या सेवा परिदान चैनलों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जाती हैं । गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यायालय कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है । निर्णय खोज पोर्टल उच्च न्यायालयों के निर्णयों की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है । ई-न्यायालय परियोजना को राष्ट्रीय ख्याति के कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

केंद्रीय बजट 2023-2024 में, भारत सरकार ने 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण की घोषणा की । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने 23.02.2023 को हुई अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 का अनुमोदन किया है । इसके अलावा, प्रधान मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 21.06.2023 को हुई अपनी बैठक में अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह ने भी अनुमोदन के लिए कैबिनेट को ई-न्यायालय चरण-3 की सिफारिश की है ।

(घ) : देश के जिला न्यायालयों में लंबित सिविल और आपराधिक मामलों को राज्यवार दर्शाने वाला विस्तृत विवरण उपाबंध-1 पर है ।

****

उपाबंध 1

'न्यायालयों में अत्यधिक लम्बित मामलों के निपटारे हेतु प्रौद्योगिकी की मदद' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2511 जिसका उत्तर 10.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

31.07.2023 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले				
क्र. सं.	**राज्य**	**सिविल**	**आपराधिक**	**दोनों**
1	अंदमान और निकोबार	3343	5287	8630
2	आंध्र प्रदेश	417412	437582	854994
3	अरुणाचल प्रदेश	403	984	1387
4	असम	101498	369244	470742
5	बिहार	526587	2990092	3516679
6	चंडीगढ़	23257	59160	82417
7	छत्तीसगढ	79713	331271	410984
8	दिल्ली	240630	989172	1229802
9	दीव और दमण	1450	1637	3087
10	सिलवासा में दादर और नागर हवेली	1960	2130	4090
11	गोवा	26092	30579	56671
12	गुजरात	409327	1298017	1707344
13	हरियाणा	458943	1073130	1532073
14	हिमाचल प्रदेश	164105	382918	547023
15	जम्मू-कश्मीर	100888	218780	319668
16	झारखंड	88955	437654	526609
17	कर्नाटक	940836	992795	1933631
18	केरल	524143	1368494	1892637
19	लद्दाख	633	590	1223
20	मध्य प्रदेश	403318	1613043	2016361
21	महाराष्ट्र	1629295	3519527	5148822
22	मणिपुर	8319	4410	12729
23	मेघालय	4441	11511	15952
24	मिजोरम	2555	3297	5852
25	नागालैंड	621	2647	3268
26	ओडिशा	284803	1247904	1532707
27	पुदुचेरी	13461	20603	34064
28	पंजाब	398883	519386	918269
29	राजस्थान	561500	1719363	2280863
30	सिक्किम	629	1173	1802
31	तमिलनाडु	753954	724220	1478174
32	तेलंगाना	345482	567425	912907
33	त्रिपुरा	11689	32928	44617
34	उत्तर प्रदेश	1869280	9784280	11653560
35	उत्तराखंड	45499	293248	338747
36	पश्चिमी बंगाल	624148	2291214	2915362
कुल		**11068052**	**33345695**	**44413747**

स्रोतः- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****